UPLK010069752026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी : मलखान सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP01998

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 3305/2026</u>

डॉ० सचिन गुप्ता, उम्र लगभग 28 वर्ष, पुत्र चन्दर मोहन गुप्ता उर्फ चन्दर मोहन, निवासी 00, ग्राम बिजवारा, पोस्ट बिजवारा, थाना बिनौली, जनपद बागपत, उ०प्र०। वर्तमान पता- कमरा संख्या-712, रेसिडेंस हॉस्पिटल, एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोगी।**

अपराध संख्या- 218/2026,
धारा- 69, 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस.,
थाना- पी.जी.आई., जनपद- लखनऊ।

<u>15.06.2026.</u>

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, अंतर्गत धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आवेदक/अभियुक्त **डॉ० सचिन गुप्ता** की ओर से उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा दिनांक 21.04.2026 को समय 23:08 बजे, थाना पी.जी.आई., जनपद लखनऊ में आवेदक/अभियुक्त डॉ० सचिन गुप्ता के विरुद्ध धारा-69, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह एस.जी.पी.जी.आई. में रेडिडिएग्नोसिस विभाग में कार्यरत है, जहाँ डॉ० सचिन गुप्ता ने उससे दोस्ती का प्रस्ताव रखा और बाद में शादी का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई, उसने बहला-फुसलाकर वादिनी से शारीरिक सम्बन्ध बनाये, वर्ष 2024 में सचिन गुप्ता ने ब्लिंकिट से गर्भ निरोधक गोलियां मंगाकर उसे खिलाया, जब वादिनी ने मना किया तो उसने गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी और बाद में शादी से इंकार कर दिया गया। अस्पताल की विशाखा कमेटी द्वारा दोनों पक्षों के मध्य सुलह कराने की कोशिश की गयी, परन्तु सचिन गुप्ता ने इंकार कर दिया और परिसर में वादिनी/पीड़िता को बदनाम कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थऩा पत्र में आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्यतः यह कथन किया गया है कि वह पूर्णतया निर्दोष है, प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसमें कथित घटना की तिथि या समय अंकित नहीं है। यह मुकदमा धन उगाही हेतु दर्ज कराया गया है, सम्पूर्ण कहानी बनावटी है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दुराशय से कानून का दुरूपयोग कर दर्ज करायी गयी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओऱ से पूरक आवेदन मय शपथ पत्र के माध्यम से वादिनी मुकदमा/पीड़िता का कथन अंतर्गत धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दाखिल किया गया है।

4. वादिनी मुकदमा की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें जमानत आवेदन में किये गये अभियुक्त द्वारा किये गये कथनों से इंकार

करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अपराध कारित करने का कथन किया है। यह भी कथन किया है कि आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-4958/2026 प्रस्तुत की गयी है, जो विचाराधीन है, जिसका उल्लेख जमानत आवेदन न करते हुए तथ्य को छिपाया गया है। प्रकरण में आंतरिक कमेटी द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता की शिकायत को जांच उपरान्त वास्तविक पाया है। यदि अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो वह वादिनी मुकदमा को डरायेगा व धमकायेगा तथा अपनी जमानत का भी दुरूपयोग करेगा, अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की मांग की।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया तथा तर्क रखा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता/वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाकर उसका शोषण किया गया है, जो जघन्य प्रकृति का अपराध है, अतः प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. उभय पक्षों को सुना एवं उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा/ पीड़िता के साथ शादी का वादा करके, शारीरिक सम्बन्ध बनाकर बाद में शादी से इंकार कर स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का अपराध आक्षेपित है। अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा धारा-180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत किये गये कथनों से आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य पाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विवेचक की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-4183/2026 व 4958/2026 प्रस्तुत की गयी है, जो विचाराधीन है, इसके बाद यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उपलब्ध केस डायरी के पर्चा संख्या-6 में वादिनी मुकदमा/पीड़िता का कथन अंतर्गत धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उल्लिखित है, जिसमें पीड़िता द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि नवम्बर 2023 में उसकी मुलाकात अभियुक्त से हुई, अभियुक्त उसे फिजिकल होने के लिये अप्रोच करने लगा तो पीड़िता ने शादी हेतु कहा, जिस पर अभियुक्त ने जनवरी, 2024 में शादी करने हेतु कहा और शारीरिक सम्बन्ध बनाये, उनका रिश्ता अगस्त 2024 तक चला, जिसके बाद अचानक अभियुक्त, पीड़िता से दूरी बनाने लगा, बाद में अक्टूबर 2024 में पीड़िता बात करने हेतु अभियुक्त के रूम पर गयी तो अभियुक्त हाथा-पाई पर उतर आया और धक्का देकर उसका गला दबा दिया और बाद में पीड़िता को बदनाम करने लगा। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है, आवेदक/अभियुक्त पर गम्भीर प्रकृति का अपराध आक्षेपित है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस स्तर पर आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है, तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **डॉ० सचिन गुप्ता** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक-15.06.2026.

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।
(UP01998)

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.06.16 10:32:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court